जिला परियोजना समन्वयकों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
दिनांक 28 फरवरी 2012 का कार्यवाही विवरण

अपर मिशन संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयकों की वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 28 फरवरी 2012 को समीक्षा की गई। निम्न बिंदुओं पर समीक्षा कर निर्देश दिये गये–

1. प्रतिभा पर्व :– प्रतिभा पर्व के मूल्यांकन के परिणाम की सम्पूर्ण प्रदेश की शालाओं की 52 प्रतिशत प्रविष्टि हुई है। इंदौर व हरदा जिले द्वारा शत प्रतिशत पृविष्टि कर प्रशंसनीय कार्य किया है। सिंगरौली, मंडला, रतलाम, श्योपुर, भिण्ड, विदशिा एवं मेदसौर जिले में 80 प्रतिशत से अधिक प्रविष्टि शेष है। छिंदवाड़ा, गुना, टीकमगढ़, अनूपपुर, झाबुआ, बालाघाट, डिण्डोरी, सागर, शाजापुर, होशंगाबाद, सतना, धार, पन्ना, देवास, रायसेन एवं सीधी जिले में 50 प्रतिशत से अधिक शालाओं की प्रविष्टि शेष है। शत प्रतिशत प्रविष्टि का कार्य 3 मार्च 2012 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये । इस तिथि तक शतप्रतिशत प्रविष्टि नही करने वाले जिलों के जिला परियोजना समन्वयकों को आयुक्त महोदय की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी करने की कार्यवाही हेतु मूल्यांकन शाखा राज्य शिक्षा केन्द्र को निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–मूल्यांकन शाखा रा.शि.के. एवं संबंधित जिला परियोजना समन्यक)

2. बजट व्यय की समीक्षा :– अलीराजपुर, भिण्ड, छतरपुर, श्योपुर, खंडवा, विदिशा, गुना एवं सतना जिले द्वारा विगत 15 दिवस में मात्र 3 से 4 प्रतिशत तक बजट व्यय में वृद्धि दर्शाने पर अप्रशंसा व्यक्त की गई। घटकवार समीक्षा करने पर इन जिलों द्वारा आवासीय ब्रिज कोर्स, गैर आवासीय ब्रिज कोर्स, माईग्रेटरी छात्रावास , विकास खण्ड स्तर की मॉनिटरिंग, दक्षता संवर्धन एवं उत्तर पुस्तिका आदि मदों पर अत्यंत कम व्यय किया गया है। भिण्ड डी.पी.सी. द्वारा पूर्व वीडिओ कॉन्फ्रेंस में आश्वस्त किया था कि उनके द्वारा आगामी वीडिओ कॉन्फ्रेंस तक बजट व्यय में वृद्धि कर प्रथम 10 जिलों में स्थान प्राप्त किया जायेगा, लेकिन इस तिथि तक जिले के बजट में व्यय में रैकिंग 49 वे स्थान पर यथावत रहने पर जिला परियोजना समन्वयक भिंड को भविष्य के लिए सचेत करते हुए व्यय में प्रगति लाने के निर्देश दिये गये।

ए.पी.ई.जी.ई.एल. योजना में श्योपुर, कटनी एवं नीमच जिले का व्यय 40 प्रतिशत से कम है, इसके अतिरिक्त राजगढ, सीधी, सिंगरौली, रीवा, सिवनी, डिंडारी, रायसेन, दमोह, सागर, अनूपपुर, होशंगाबाद, बुरहानपुर एवं पन्ना जिले के व्यय की प्रगति भी संतोष प्रद नही होने से इन जिलों को आगामी एक सप्ताह में सुधार लाने के निर्देश दिये गये। के.जी. बी.व्ही. योजना में नीमच, रीवा, राजगढ, कटनी, डिंडोरी, दमोह, अनूपपुर, बडवानी, देवास, सागर, श्योपुर कलॉ एवं गुना जिले का व्यय कम होने से सुधार लाने के निर्देश दिये गये। रीवा जिले में संचालित के.जी.बी.व्ही. में निर्धारित लक्ष्य अनुसार बालिकाऐं दर्ज न होने से डी.पी.सी. को छात्रावास वार दर्ज बालिकाओं की जानकारी भेजने के निर्देश दिये गये।

समस्त जिला परियोजना समन्वयकों को व्यय का घटकवार परीक्षण कर आगामी सात दिवस में व्यय में प्रगति लाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–वित्त शाखा रा.शि.के. एवं समस्त जिला परियोजना समन्यक)

3. आर.टी.ई. के तहत बच्चों के एडमिशन की समोक्षा :– सत्र 2011–12 में आर.टी.ई. के तहत गैर अनुदान प्राप्त प्रवेशित बच्चों के फीस की प्रतिपूर्ति हेतु बच्चों के नामवार प्रविष्टि के निर्देश दिये गये है। लेकिन पूर्व वर्ष में प्रवेशित लगभग 1.37 लाख बच्चों के विरूद्ध मात्र 3500 बच्चों की प्रविष्टि पोर्टल पर की गई है, इसे 7 मार्च 2012 तक अशासकीय विद्यालयों के साथ बैठक कर पूर्ण करवाने के निर्देश दिये गये। समय सीमा में प्रविष्टि न होने पर फीस की प्रतिपूर्ति के लिए जिला शिक्षा अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी होंगे।

वंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के दिनांक 31.1.2012 की स्थिति में प्रवेश की जानकारी मात्र केवल डिण्डोरी, बालाघाट, अशोकनगर, छिन्दवाड़ा, खंडवा, बैतूल, भोपाल, शिवपुरी, शहडोल, छतरपुर, झाबुआ, सिवनी, इन्दौर, ग्वालियर, सीधी, गुना, मंडला, रतलाम एवं बुरहानपुर जिले द्वारा दी गई है। मंडला एवं बुरहानपुर जिले में किसी भी बच्चे का दाखिला नहीं हुआ है। गुना, सीधी, ग्वालियर, इंदौर, सिवनी, झाबुआ छतरपुर एवं शहडोल जिले में लक्ष्य के विरूद्ध 30 प्रतिशत से भी कम दाखिला हुआ हैं। जिन विद्यालयों में सीटे रिक्त रह गई है वहॉ पर पालकों को आवेदन करने की तिथि 22 मार्च 2012 तथा लॉटरी द्वारा प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि 27 मार्च 2012 निर्धारित की गई है, तद्नुसार प्रवेश कार्य पूर्ण करवाने के निर्देश दिये गये। गत वर्ष के अशासकीय विद्यालयों के मान्यता के प्रकरण वर्तमान में भी विकास खण्ड कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लंबित है, इनका निराकरण सात मार्च के पूर्व करने के निर्देश दिये गये। जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल ने अवगत कराया कि पोर्टल पर इस वर्ष प्राप्त मान्यता के प्रकरण भी विकास खण्ड कार्यालय में लंबित दिख रहे है, एम.आई.एस. शाखा राज्य शिक्षा केन्द्र को पोर्टल पर वर्ष वार ऑप्शन शामिल करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–आरटीई/एम.आई.एस. शाखा रा.शि.के. एवं समस्त डी.ई.ओ. व डी.पी.सी.)

4. निर्माण कार्य की समीक्षा :– वर्ष 2011–12 में स्वीकृत कार्यो में विदिशा जिले में 21 प्रतिशत, शाजापुर में 61 प्रतिशत, सिवनी, सीहोर एवं सीधी जिलों में 83 प्रतिशत एवं बालाघाट में 85 प्रतिशत ही निर्माण कार्य प्रारंभ हुए है। पिछले 15 दिवस में शाजापुर, सिवनी, सीहोर एवं सीधी जिलों द्वारा कोई प्रगति नही की गई है। वर्ष 2001–02 से 2009–10 तक स्वीकृत कार्यो में रीवा, धार, शिवपुरी, भिण्ड, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, बडवानी, सागर, झाबुआ, रायसेन, गुना, ग्वालियर, विदिशा तथा सीधी जिले में 1000 से अधिक निर्माण कार्य अपूर्ण है। इसके अतिरिक्त सीधी में 461, कटनी में 442, रतलाम में 406, डिंडोरी में 381, बडवानी में 330, छतरपुर में 328, अलीराजपुर में 367 एवं सतना में 286 पूर्ण कार्यों का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होना शेष है। इन जिलों के जिला कलेक्टर्स को अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराने के निर्देश दिये गये।

मान. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में जिले में शौचालय के पूर्णता के संबंध में शपथ पत्र प्रारूप जिला कलेक्टर के हस्ताक्षर से दिनांक 29.02.12 तक चाहे गये थे। अधिकांश जिलों द्वारा शपथ पत्र का प्रारूप प्रेषित नही करने पर निर्धारित तिथि तक अनिवार्यता प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–निर्माण शाखा रा.शि.के. एवं संबंधित जिला परियोजना समन्यक)

5. शाला से बाहर बच्चों के फालोअप की समीक्षा :– प्रदेश में 11041 शाला के बाहर बच्चों का रजिस्ट्रेशन पोर्टल में नही हुआ है। इनमें से पन्ना, रतलाम, धार, बालाघाट, सतना, दमोह, भोपाल, जबलपुर, रीवा, छतरपुर, बडवानी एवं अलीराजपुर जिलों में बच्चों की संख्या 300 से अधिक है। इन जिलों में फालोअप की कार्यवाही भी बडी संख्या में लंबित है। समस्त स्वीकृत आवासीय एवं गैर आवासीय ब्रिज कोर्स नही खोलने पर अप्रशंसा व्यक्त करते हुये एक सप्ताह में समस्त स्वीकृत आवसीय ब्रिज कोर्स प्रारंभ करने के निर्देश दिये गये। सिंगरौली, सीधी, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, शहडोल, सिवनी, पन्ना, होशंगाबाद, विदिशा, राजगढ, धार, उज्जैन, मंदसौर, ग्वालियर एवं भिण्ड जिले के परियोजना समन्वयकों को आवसीय ब्रिज कोर्स एवं गैर आवासीय ब्रिज कोर्स में निर्धारित लक्ष्य अनुसार बच्चों को दर्ज करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–ई एण्ड आर.शाखा रा.शि.के. एवं संबंधित समस्त जिला परियोजना समन्यक)

6. विषय वार शिक्षकों की मैपिंग की समीक्षा :– डिंडोरी मे मात्र 25 प्रतिशत, शहडोल में 33 एवं सिंगरौली में 71 प्रतिशत मैपिंग का कार्य हुआ है। मंडला, कटनी, सीधी, रीवा, बुरहानपुर, उमरिया, बालाघाट, मुरैना, खरगौन, सतना, गुना, जबलपुर एवं बैतुल जिले में 80 से 90 प्रतिशत के बीच मैपिंग का कार्य हुआ है। समस्त डी.ई.ओ. व डी.पी.सी. को आगामी एक सप्ताह में शतप्रतिशत मैपिंग का कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–एम.आई. शाखा रा.शि.के. एवं संबंधित डी. पी.सी.)

7. जन शिक्षा केन्द्रों से शालाओं की मैपिंग :– अलीराजपुर, बालाघाट, छतरपुर, धार, होशंगाबाद, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, मंदसौर, मुरैना, सागर, सतना, सीहोर, श्योपुर एवं टीकमगढ़ जिले द्वारा मैपिंग का कार्य नही किया गया है। इन जिलों को यथाशीघ्र जानकारी प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–एम.आई. शाखा रा.शि.के. एवं समस्त संबंधित डी. पी.सी.)

8. सामान्य निर्धन छात्रावृति :–खंडवा, विदिशा, हरदा एवं छतरपुर जिले द्वारा छात्रवृति का शत प्रतिशत वितरण करने पर प्रशंसा व्यक्त की गई। बालाघाट, बडवानी, बुरहानपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, श्योपुर, उमरिया जिले द्वारा किसी भी बच्चों को छात्रवृति उपलब्ध नही कराई गई है। पन्ना, कटनी, राजगढ़, गुना, सिंगरौली, दतिया, जबलपुर, मंदसौर, शाजापुर, भिण्ड, उज्जैन, रायसेन, भोपाल, दमोह एवं बैतूल जिले द्वारा 5 प्रतिशत से कम बच्चों को वितरण किया गया है। समस्त पात्र बच्चों को 7 मार्च 2012 तक छात्रवृति वितरण करने के निर्देश दिये गये। निर्धारित तिथि तक छात्रवृति वितरण न करने वाले जिलों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रकरण आयुक्त महोदय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्लानिंग शाखा राज्य शिक्षा केन्द्र को निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–प्लानिंग शाखा रा.शि.के. एवं समस्त संबंधित डी. पी.सी.)

9. अन्य :–

- विधान सभा प्रश्नों के उत्तर कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत ही समय सीमा में प्रेषित करने तथा परिशिष्ट हिंदी में तैयार करने के निर्देश दिये गये।
- पोर्टल पर साईकल वितरण की शत प्रतिशत प्रविष्टि करने के निर्देश दिये गये।

- NTSE/NMMS परीक्षा वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में चयनित बच्चों के कुछ जिलों से बैंक खाते आज दिनांक तक अप्राप्त है। जिला शिक्षा अधिकारी इसकी व्यक्तिगत तौर पर समीक्षा कर ले तथा चयनित बच्चों के बैंक खाते 20.03.12 तक अनिवार्यतः भेजना सुनिश्चित करें। इसमें अप्रिय स्थिति के लिए संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी व्यक्तिशः उत्तरदायी होंगे।
- NTSE/NMMS परीक्षा वर्ष 2011–12 में सम्मिलित बच्चों का नॉमिनल रॉल कुछ जिलों द्वारा बार–बार निर्देश के बावजुद भी अधूरा भेजा गया है। जिला परियोजना समन्वयक इसे 15.03.12 तक भेजना सुनिश्चित करें।

मार्च माह की प्राथमिकताऐं :–

- प्रतिभा पर्व के परिणाम की पोर्टल पर प्रविष्टि ।
- प्रत्येक जिले द्वारा अपने व्यय का घटकवार परीक्षण कर लक्ष्य के अनुसार प्रगति प्रदर्शित करना।
- RTE के तहत 25 प्रतिशत एडमिशन एवं इसका फालोअप सुनिश्चित करना।
- RBC एवं NRBC का शत–प्रतिशत संचालन प्रारंभ एवं इनकी मॉनीटरिंग।
- साक्षर भारत योजना अन्तर्गत प्रथम चरण में शामिल 10 जिलों में विकासखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तरीय लोक शिक्षा समितियों का शत–प्रतिशत गठन एवं सब्सिडरी खाते खोलने की कार्यवाही पूर्ण करना।
- प्रत्येक जिले द्वारा निर्माण कार्य की समीक्षा कर शत– प्रतिशत स्वीकृत कार्य प्रारंभ एवं पूर्व वर्षों के अपूर्ण कार्यों के पूर्ण कराना।
- प्रत्येक जिले द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार शालाओं की मॉनीटरिंग कर पोर्टल पर प्रविष्टि करना।

अंत में धन्यवाद के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस संपन्न की गई।

(अपर मिशन संचालक द्वारा अनुमोदित)

Sd-
संयुक्त संचालक (मॉनिट)
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल